सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा:.सं . NCST/ATY-1660/JH/93/2024-RO-RNC

दिनांक :28.03.2025

सेवा में,

1. **उपायुक्त**,
जिला हारलाते
समाहरणालय भवन,
कार्यालय उपायुक्त,
लातेहार, झारखंड -829206
Email Id: dc-lat@nic.in

2. **पुलिस अधीक्षक,**
जिला लातेहार
कार्यालय पुलिस अधीक्षक,
झारखंड पुलिस,
लातेहार, झारखंड -829206
Email Id: sp-lat@nic.in

विषय: अभ्यावेदक श्री राजीव कुमार उरांव, पिता स्व श्री रंथु .उराँव, ग्राम चन्दवा (कुसुम टोली), पोस्ट एवं थाना - चन्दवा, जिला " से प्राप्त अभ्यावेदन (झारखण्ड) लातेहार - पुलिस कर्मियों द्वारा चेहरे पर अपमानित करने के नियत से गर्म चाय फेक कर मारपीट एवं जाति सुचक गाली गलौज करते हुए बिना किसी अपराध के चंदवा थाने में बन्द किए जाने पर उचित कारवाई करने के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीया सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 27.02.2025 को आयोग मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त मे की गए अनुशसाओं पर अनुपालन रिपोर्ट की गई कार्रवाई की रिपोर्ट/ 15 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें ।

संलग्न:यथोपरि।

भवदीय

(एच.आर .मीना/H.R.Meena)
अनुसंधान अधिकारी/Research Officer
Email ID : hari.rammeena@ncst.nic.in

प्रति सूचनार्थ:

श्री राजीव कुमार,
पिता स्वश्री रंथु उराँव .,
ग्राम (कुसुम टोली) चंदवा -,
पोस्ट व थाना चंदवा -,
जिला (झारखंड) हरलाते -,

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
NIC for uploading

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
फा. सं. NCST/ATY-1660/JH/93/2024-RO-RNC

पुलिस कर्मियों द्वारा चेहरे पर अपमानित करने के नियत से गर्म चाय फेंक कर मारपीट एवं जातिसूचक गाली-गलौज करते हुए बिना किसी अपराध के चंदवा थाने में बंद किए जाने पर उचित कार्रवाई करने के संबंध में श्री राजीव कुमार उरांव की शिकायत पर आयोग द्वारा आयोजित सुनवाई का कार्यवृत्त।

सुनवाई की तिथि एवं समय: 27.02.2025 को 04:00 बजे अपराह्न
सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी: अनुलग्नक-I के अनुसार।

1. शिकायतकर्ता श्री राजीव कुमार उरांव की शिकायत दिनांक 06.04.2024 आयोग में प्राप्त हुई, जिसमें उन्होंने बताया कि वे डाल्टनगंज सड़क के किनारे चाय की दुकान चलाते हैं। दिनांक 16.03.2024 को, जब वे अपने दुकान परिसर के पास एक अनजान व्यक्ति को शौच करने से मना कर रहे थे, तो उस व्यक्ति ने स्वयं को पुलिस अधिकारी बताते हुए गुस्से में गरम चाय का प्याला शिकायतकर्ता के चेहरे पर फेंक दिया। इसके बाद, उसने चार-पांच अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर शिकायतकर्ता के साथ मारपीट की और बिना नंबर प्लेट की बोलेरो गाड़ी से चंदवा थाना ले जाकर उन्हें बंद कर दिया। लगभग दो घंटे बाद थाना प्रभारी ने उन्हें छोड़ा। इसके पश्चात, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, चंदवा में इलाज कराने के बाद जब वे अपनी दुकान लौटे, तो पाया कि उनकी कमाई के 5,000 रुपये चोरी हो चुके थे। शिकायतकर्ता ने आयोग से दोषियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई कर न्याय दिलाने की अपील की है।

2. आयोग ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए दिनांक 03.05.2024 उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक, जिला-लातेहार, झारखंड को नोटिस भेजा था।

3. आयोग के नोटिस के बावजूद उपायुक्त, लातेहार एवं पुलिस अधीक्षक, लातेहार से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए, आयोग ने 06 जनवरी 2025 को सुनवाई की, जिसके बाद निम्नलिखित अनुशंसाएं की गईं:

   3.1 मामले में पुनः कार्रवाई सुनिश्चित कर 15 फरवरी 2025 तक आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
   3.2 अगली सुनवाई में उपायुक्त, लातेहार और पुलिस अधीक्षक, लातेहार की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

4. आयोग की 06 जनवरी 2025 की सुनवाई में प्रस्तुत रिपोर्ट असंतोषजनक पाए जाने पर, आयोग ने निर्धारित समय सीमा के भीतर रिपोर्ट प्राप्त न होने के कारण मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी 2025 को निर्धारित की। इसके लिए सिटिंग नोटिस जारी किए गए।

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

6th Floor, 'B' Wing Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi - 110003, Website: www.ncst.nic.in
Tel.: 011-24601346, 011-24620638 Toll Free: 1800117777

5. मामले की सुनवाई में जिलाधिकारी, लातेहार स्वयं उपस्थित नहीं हुए, उनकी ओर से कार्यपालक दंडाधिकारी पेश हुए। इसी तरह, पुलिस अधीक्षक, लातेहार भी अनुपस्थित रहे, उनकी ओर से निरीक्षक उपस्थित हुए। याचिकाकर्ता राजीव उराँव स्वयं सुनवाई में मौजूद रहे। सुनवाई के दौरान 25 फरवरी 2025 की रिपोर्ट आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसमें बताया गया कि सभी आरोपी पुलिसकर्मी (अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अरविंद कुमार, अंगरक्षक गौतम पासवान, गृह रक्षक भोला बैठा, थाना प्रभारी रंधीर कुमार सिंह) अनुसूचित जाति से हैं, जिससे जातिसूचक गाली का आरोप निराधार साबित हुआ। मेडिकल रिपोर्ट में गर्म चाय फेंकने का कोई प्रमाण नहीं मिला, केवल हल्की खरोंच दर्ज है। घटना के दौरान पुलिसकर्मी चाय पी रहे थे, तभी राजीव उराँव ने पेशाब करने से रोका, जिससे विवाद हुआ और उन्होंने पुलिसकर्मियों से उलझकर गाली-गलौज व धमकी दी। सत्यापन के लिए उन्हें थाना हाजत में रखा गया और बाद में छोड़ दिया गया। गवाहों (बुलू ठाकुर, राहुल कुमार, अनिल कुमार) ने विवाद की पुष्टि की, लेकिन मारपीट व जातिसूचक गाली के आरोप का समर्थन नहीं किया। पुलिस का कहना है कि राजीव उराँव ने बेवजह विवाद किया और पुलिस को धमकी दी, जिसके चलते थाना में दर्ज एंट्री के आधार पर कार्रवाई की गई। निष्कर्षतः शिकायतकर्ता ने मामला बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किया, जबकि पुलिस ने प्रक्रिया अनुसार कार्रवाई की, जिसमें दोनों पक्षों के बीच उत्तेजित संवाद हुआ।

6. मामले में सुनवाई के उपरांत आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुशंसाएं की जाती है:-

   i. मामले में आगामी कार्रवाई हेतु नवीनतम रिपोर्ट शिकायतकर्ता को भेजी जानी है, जिससे उनके प्रत्युत्तर के आधार पर अगली सुनवाई निर्धारित की जाएगी |

   ii. मामले में अगली सुनवाई में उपायुक्त, लातेहार और पुलिस अधीक्षक, लातेहार दोनों का उपस्थित होना अपेक्षित है।

आशा लकड़ा
19/03/2025

(डॉ आशा लकड़ा)
सदस्य,
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

Attendance Sheet
National Commission for Scheduled Tribes

NCST/ATY-1660/JH/93/2024-RO-RNC

Sitting to be held on **27.02.2025 at 04:00 P.M** – अभ्यावेदक श्री राजीव कुमार उरांव, पिता स्वउराँव रंथु श्री ., ग्राम चन्दवा (टोली कुसुम), पोस्ट एवं थाना -चन्दवा, जिला लातेहार –

Sl. No.	Name and Designation	Address & Phone No.	Signature
I	**National Commission for Scheduled Tribes**		
1.	Dr. Asha Lakra Hon'ble Member	In Chair	
2.	Shri Surat Singh Director		
3.	Shri H.R. Meena Research Officer		
3.	Shri Rahul Investigator		
4.	Shri Rahul Yadav Legal Consultant		
5.	Shubhodip Rosik Soren		[signature]
6.			
II	**Officers from O/o Deputy Commissioner– Latehar**		
1.	AJAY KACHHAP Ex. Magistrate		[signature]
2.			
3.			
III	**Officers from O/o Superintendent of Police, District – Latehar**		
1.	Umesh Prasad Singh Inspector 7004531139	Latehar CLR	[signature] 27/2/25
2.			
3			
IV	**Petitioners**		
1.			
2.			